न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ (चूरू)

ब इजलास हिम्मतसिंह R.A.S.

वाद संख्या - 170/2014

निर्णय दिनांक - 18.6.19

रामसिंह पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी पुराना बास तहसील राजगढ़ जिला चूरू

— वादी

बनाम

1. सन्तोष बेवा चतरू] जाति जाट निवासीगण पुरानाबास/सांखण तुमली
2. हनुमान पुत्र चन्द्राराम] तहसील राजगढ़ जिला चूरू
3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा सांखू तहसील राजगढ़ जिला चूरू
4. श्रीमान तहसीलदार राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू
5. रामनिवास पुत्र दलीपसिंह जाति जाट निवासी बिरढ़ाना तहसील व जिला झज्जर (हरियाणा)

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188, 53 R.T. Act.

निर्णय

इस न्यायालय के प्राथमिक निर्णय दिनांक 7.7.2017 की पालना में तहसीलदार राजगढ़ (चूरू) से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। अवलोकन किया। विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक निर्णय के अनुरूप ही तैयार कर भिजवाया है। विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति पेश नहीं की गई। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार कर पक्षकारान का निम्न प्रकार से खाता विभाजन किया जाता है।

(1) रामनिवास पुत्र दलीपसिंह जाति जाट निवासी बिरढ़ाना तहसील व जिला झज्जर (हरियाणा) खातेदार के हक हिस्सा में ख०न० 216 मी०

— 2.

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)

रकबा 0.41 है० ख० नं० 218 मी० रकबा 0.85 है० किता 2 कुल रकबा 1.26 है० रोही ग्राम सांखणतूमली तहसील राजगढ़ जिला चूरू नक्शा विभाजन प्रस्ताव में दर्शाए अनुसार रहेगी।

2. रामसिंह पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी पुरानाबास तहसील राजगढ़ (चूरू) खातेदार के हक हिस्सा में ख० नं० 216 मी० रकबा 0.45 है० ख० नं० 218 मी० रकबा 0.82 है० किता 2 कुल रकबा 1.27 है० रोही ग्राम सांखणतूमली तहसील राजगढ़ जिला चूरू नक्शा विभाजन प्रस्ताव में दर्शाए अनुसार रहेगी।

3. हनुमान पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी सांखणतूमली खातेदार के हक हिस्सा में ख० नं० 215 रकबा 0.01 है० गै०मु० कुआ ख० नं० 216 मी० 0.45 है० ख० नं० 218 मी० रकबा 0.81 है० किता 3 कुल रकबा 1.27 है० वाके रोही ग्राम सांखणतूमली तहसील राजगढ़ जिला चूरू नक्शा विभाजन प्रस्ताव में दर्शाए अनुसार रहेगी।

जिन खातेदारान का हिस्सा बैंक के रहन है, वह यथावत रहन रहेगा। देय स्टाम्प शुल्क अदा करने पर पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 18.6.19 को मेरे द्वारा लिखाया जा कर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)